"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 24, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं एकलव्य गुरनानी आत्मज स्व. के. के. गुरनानी, उम्र 40 वर्ष, निवासी मकान नं. एम. आई. जी. 2/211, आमदी नगर, हुडको, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम शशि गुरनानी आ. स्व. के. के. गुरनानी रख लिया हूं जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शशि गुरनानी आत्मज स्व. के. के. गुरनानी के नाम से जाना और पहचाना जावे.

पुराना नाम

एकलव्य गुरनानी
आत्मज-स्व. के. के. गुरनानी
निवासी-मकान नं. एम. आई. जी. 2/211,
आमदी नगर, हुडको, भिलाई नगर,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शशि गुरनानी
आत्मज-स्व. के. के. गुरनानी
निवासी-मकान नं. एम. आई. जी. 2/211,
आमदी नगर, हुडको, भिलाई नगर,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुबाष चन्द/सुबाष चन्द मौर्य आत्मज स्व. श्रीराम प्रसाद निवासी-मकान नं. 54/1576 शांतीविहार कालोनी, इण्डेन गैस गोडाउन के पास, डंगनिया, थाना-आजाद चौक, तहसील एवं जिला-रायपुर (छ. ग.) वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में संयुक्त सचिव (कार्मिक)-दो, पद पर कार्यरत हूं. मैं अपना नाम सुबाष चन्द/सुबाष चन्द मौर्य के स्थान पर सुबाष चन्द्रा रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: आज से मुझे सुबाष चन्द्रा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

सुबाष चंद/सुबाष चंद मौर्य
आत्मज- स्व. श्रीराम प्रसाद
निवासी- मकान नं. 54/1576
शांतीविहार कालोनी,
इण्डेन गैस गोडाऊन के पास, डंगनिया,
थाना-आजाद चौक,
तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

सुबाष चंद्रा
आत्मज- स्व. श्रीराम प्रसाद
निवासी- मकान नं. 54/1576
शांतीविहार कालोनी,
इण्डेन गैस गोडाउन के पास, डंगनिया,
थाना-आजाद चौक,
तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सामू राम आत्मज श्री मुन्नर राम उम्र 65 वर्ष, निवासी म [illegible], कैलाश नगर, कुरुद भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं मैं अपने नाम के सामने उप-नाम चौहान को जोड़कर सामूराम चौहान रख लिया हूं त [illegible] में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सामूराम चौहान के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

सामू राम
आत्मज-श्री मुन्नरराम
निवासी- म. नं. 295
कैलाश नगर, कुरुद, भिलाई,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सामूराम चौहान
आत्मज-श्री मुन्नरराम
निवासी- म. नं. 295
कैलाश नगर, कुरुद, भिलाई,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विजय कुमार आत्मज दुकालू, जाति कसेर, उम्र 39 वर्ष निवासी क्वा. नं. 7/ए, सड़क 12, से. 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के सामने उपनाम (सरनेम) कसेर को जोड़कर विजय कुमार कसेर रख लिया हूं तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विजय कुमार कसेर आत्मज श्री दुकालू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

विजय कुमार
आत्मज-दुकालू
निवासी-क्वा. नं. 7/ए, सड़क 12,
सेक्टर 6, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

विजय कुमार कसेर
आत्मज-दुकालू
निवासी-क्वा. नं. 7/ए, सड़क 12,
सेक्टर 6, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रमेश आत्मज श्री हरिचन्द, उम्र 49 वर्ष निवासी सेक्टर 7, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं मैं अपने नाम के आगे उपनाम (सरनेम) को जोड़कर रमेश हरिचन्द बड़गुजर आत्मज हरिचन्द नत्थू बड़गुजर रख लिया हूं तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रमेश हरिचन्द बड़गुजर आत्मज श्री हरिचन्द नत्थू बड़गुजर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

रमेश
आत्मज-हरिचन्द
निवासी-सेक्टर 7, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रमेश हरिचन्द बड़गुजर
आत्मज-श्री हरिचन्द नत्थू बड़गुजर
निवासी-सेक्टर 7, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

अन्य सूचनाएं

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH ELECTION 2007 NOTIFICATION -1

Bilaspur, the 1st December 2006

Notice under Rule 4 of Bar Council of India New Delhi

No. SBC/CG/Election/2006/1541.—It is hereby notified that for the purpose of preparing final electoral roll in accordance with rules 2 and 3 of chapter I, Part III of the rules framed by the Bar Council of India under sections 3 (4), 10B, 15 (2) (a) 49 (1) (a) and (ab) of the Advocates Act 1961 for the next election of members to this Council, the particulars as to any of the disqualification as referred to in clasuses (a) to (I) of rule 2 shall be furnished by an advocate who has incurred them to the State Council within the time specified in the notice issued under rule 4. (Herein below given is the rule 2 and Explanation).

PART-III

प्रति

CERTAIN MATTERS RELATING TO STATE COUNCIL

CHAPTER-I

Electoral roll, disqualification of membership and vacation of office (Rules under)

1. Every advocate whose name is on the electoral roll of the State Council shall be entitled to vote at an election.

Rule- (2)

2. The name of an advocate appearing in the State Roll shall not be on the electoral roll, if on information received or obtained by the State Bar Council concerned on the basis of which it is satisfied that-

(a) his name has at any time been removed:

(b) he has been suspended from practice provided that this disqualified shall operate only for a period of five years from the date of the expiry of the period of suspension.

(c) he is an undischarged insolvent :

(d) he has been found guility of an election offence in regard to an election to the State Council by an election tribunal provided however, that such disqualification shall not operate beyond the election next following after such finding has been made :

(e) he is convicted by a competent Court for an offence involving moral turpitude, provided that this disqualification shall cease to have effect after a period of two years has elapsed since his release ;

(f) he is in full-time service or is in such part time business or other vocation not permitted in the case of practicing advocates by the rules either of the State Council concerned or the Council.

(g) he has intimated voluntary suspension of practice and has not given intimation of resumption of practice.

(h) if has not paid the subscription under Rule 40 Chapter-II Part VI of the Rules and obtained receipt from the State Bar Council;

(i) he has incurred any disqualification mentioned in the Act or the rules made thereunder.

Explanation :-

If an advocate who has incurred any disqualification as referred to in rule 2 and does not furnish details about it as required in the notice under rule 4 of these rules within the time specified shall be deemed to have committed an act of the other misconduct as referred to in section 35 (1) of the Act.

Dated the 29th November 2006

Sd/-
(V. A. Narayanan)
O. S. D. & Off. Secretary
State Bar Council of C. G.
Bilaspur.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2006

क्रमांक/70/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री देवेन्द्र अग्रवाल आत्मज श्री विष्णु प्रसाद जी अग्रवाल, रामसागर पारा, रायपुर एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

इस आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 2-1-2007 को होगी.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1) [illegible] का नाम और पता : श्री मनोकामना शिद्ध हनुमान मंदिर, लोक न्यास, राठौर चौक, रायपुर.

(2) [illegible] : इंडियन बैंक, गुरुनानक चौक, रायपुर, खाता क्र. 12563, राशि 36536.00.

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

क्रमांक/उपरा/परि/2006/606.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपरा/परि./2003/रायगढ़, क्रमांक 1356, दिनांक 11-11-2002 के द्वारा आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या. मूरा को परिसमापन में लाकर स. वि. अ. खरसिया, श्री जी. आर. कलामे को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक एवं स. वि. अ. खरसिया ने समिति का लेनदारी-देनदारी निरंक कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एस. एल. विश्वकर्मा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18- (1), (2) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुझे छत्तीगसढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी-26-7-1999 के द्वारा वैष्ठित है.

आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या मूरा पं. क्रमांक 253 दिनांक 11-2-64 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 03-10-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रसारित किया जाता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2006

क्रमांक/उपरा/परि./2006/715 ब.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपरा/परि./2003/रायगढ़, क्रमांक 1340, दिनांक 11-11-2002 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. छोटे देवगांव को परिसमापन में लाकर स. वि. अ. खरसिया, श्री जी. आर. कलामे को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक एवं स. वि. अ. खरसिया ने समिति का लेनदारी-देनदारी निरंक कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एस. एल. विश्वकर्मा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18- (1), (2) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुझे छत्तीगसढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के द्वारा वैष्ठित है.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. छोटे देवगांव पं. क्रमांक 814 दिनांक 5-2-1992 को पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 07-10-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रसारित किया जाता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अक्टूबर 2006

क्रमांक/उपरा/परि./2006/729 ब.—अन्तर्गत धारा 69 (4) छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के द्वारा परिसमापित प्राथमिक सहकारी समिति मर्या उप. भण्डार गौशालापारा रायगढ़ जिला रायगढ़ पंजीयन क्र. 889/रायगढ़, दिनांक 17-11-94 को कार्यालयीन आदेश क्र./उपरा/परि/923/2003 के द्वारा परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ कर स. नि. श्री ए. एस. तिग्गा कार्यालय मु. का. अ. जन. पंचा. को परिसमापक नियुक्त करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया था. परिसमापक द्वारा दिनांक 30-9-2005 को समिति का पुनर्गठन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जिसमें उल्लेखित है कि समिति के सदस्यों द्वारा समिति को पुनर्जीवन कर व्यापार व्यवस्था करने हेतु मंशा व्यक्त की है. सदस्यों द्वारा दिनांक 25-9-2005 को विशेष आमसभा में पुनर्जीवन कराये जाने बाबत सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किये हैं.

अत: इस आधार पर परिसमापक द्वारा समिति के पुनर्जीवन हेतु अनुशंसा की गई है. उक्त सभी बिन्दुओं पर विचार उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति अपने क्रियाशीलता बनाये रखने हेतु सहमत हैं. तथा विभागीय निर्देशों हेतु कटिबद्ध हैं.

अत: मैं एस. एल. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.) पंजीयन क्रं. 889, दिनांक 17-11-94 के विरुद्ध जारी परिसमापन आदेश क्र./उपरा/परि./923/2003 रायगढ़, दिनांक 1-8-2003 को छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस शर्त पर निरस्त करता हूं कि समिति 6 माह के अन्दर 50 सदस्यों की वृद्धि करते हुए 5000/- की प्रदत्त राशि अंशपूंजी संकलन कर प्रत्येक माह प्रगति से अवगत करावें. यदि समिति निर्धारित समयावधि उक्त शर्तें पूर्ण करने मे असमर्थ रहती हैं तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. पुनर्जीवित पश्चात् समिति के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्न सदस्यों को अंतरिम प्रबंधकारिणी समिति गठित की जाती है तो आप तीन माह में निर्वाचन सम्पन्न पश्चात् निर्वाचित कमेटी को प्रभार सौपें.

अंतरिम प्रबंध कमेटी अस्थाई रूप से निम्नानुसार है :-

1.	अध्यक्ष	श्री श्याम रतन गुप्ता
2.	उपाध्यक्ष	श्रीमती कान्ता देवी अग्रवाल
3.	सदस्य	श्री संदीप सिंह
4.	--,,--	श्री विवेक कुमार गुप्ता
5.	--,,--	श्री अशोक यादव
6.	--,,--	श्री भागीरथी यादव
7.	--,,--	श्री अशोक कुमार यादव
8.	--,,--	श्रीमती रजनी सिंह
9.	--,,--	श्री दिनेश यादव
10.	--,,--	श्री लक्ष्मी नारायण पटवा

यह आदेश आज दिनांक 13-10-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2006

क्रमांक/उपरा/परि./2006/764-ब.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपरा/परि./2003/रायगढ़, क्रमांक 1476 दिनांक 30-11-2002 के द्वारा यातायात सहकारी समिति मर्या. चारपारा को परिसमापन में लाकर स. वि. अ. खरसिया, श्री जी. आर. कलामे को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक एवं स. वि. अ. खरसिया ने समिति का लेनदारी-देनदारी निरंक कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एस. एल. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 8 (1, 2) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुझे छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के द्वारा वैष्ठित है.

यातायात सहकारी समिति मर्या. चारपारा पं. क्रमांक 718 दिनांक 25-4-91 को पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगमें निकाय समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-10-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रसारित किया जाता है.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.